COURT OF CIVIL JUDGE (S.D.), RAMPUR

CM No. 226/2022 (Reg No. 482/2022)

(Related OS. No. 415/2021)

Usman Khan Vs. Hasan Raza Khan & Ors.

DATE	ORDER SHEET	
09-07-2024	प्रकीर्ण वाद पेश हुआ। प्रार्थी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली आज वास्ते सुनवाई नियत है। प्रार्थना पत्र 4ग पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। **<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र 4ग</u>** प्रार्थी/वादी की ओर से प्रार्थना पत्र 4ग मय शपथपत्र 5ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी ने मूलवाद सं० 415/2021 उस्मान खाँ बनाम हसन रजा खाँ न्यायालय में योजित किया था तथा उक्त वाद की पैरवी कर रहा था। उपरोक्त वाद में दिनांक 11–10–2022 नियत थी तथा उक्त दिनांक को ही प्रार्थी अचानक बीमार हो गया और उसे तेज बुखार हो गया, जिस कारण वह माननीय न्यायालय में देर से उपस्थित हुआ, जिस पर उसे ज्ञात हुआ कि उसका वाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्त कर दिया गया है। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर कोई गलती नहीं की गयी है, जो भी गलती हुई है वह क्षमा योग्य है। यदि प्रार्थी का मूलवाद पुनः नंबर पर कायम नहीं किया गया और पैरवी का अवसर प्रदान नहीं किया गया, तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः प्रार्थी द्वारा आदेश दिनांकी 11–10–2022 को अपास्त फरमाकर मूलवाद सं० 415/2021 को पुनः नम्बर पर कायम करते हुए पैरवी का अवसर प्रदान दिये जाने की याचना की गयी है। सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। मूल पत्रावली संलग्न है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 11–10–2022 को मूलवाद सं० 415/2021 उस्मान खाँ बनाम हसन रजा खाँ आदि, पक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्त कर दिया गया था। प्रार्थी द्वारा दिनांक 04–11–2022 को यह प्रकीर्ण वाद प्रस्तुत कर दिया गया। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र द्वारा समर्थित है। प्रार्थी/वादी द्वारा कथन किया गया है कि उक्त मूलवाद में नियत दिनांक को प्रार्थी की तबीयत खराब होने के कारण वह अदालत देर से पहुंचा था तथा उसके पहुंचने से पूर्व से उक्त मूलवाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में खारिज कर दिया गया था। विधि की मंशा है कि उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देकर वाद का गुण–दोष के आधार पर निस्तारण किया जाये। प्रार्थी द्वारा दिनांक 11–10–2022 को अपनी अनुपस्थिति का जो कारण दर्शाया गया है, वह पर्याप्त प्रतीत होता है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रकीर्ण वाद सं० 226/2022 न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है। **<u>आदेश</u>** प्रकीर्ण वाद सं० 226/2022 स्वीकार किया जाता है। मूलवाद सं० 415/2021 उस्मान खाँ बनाम हसन रजा खाँ आदि में पारित आदेश दिनांकित 11–10–2022 को अपास्त किया जाता है। मूलवाद सं० 415/2021 उस्मान खाँ बनाम हसन रजा खाँ आदि अपने मूल नम्बर पर कायम होकर दिनांक 08–08–2024 को पेश हो। (**अम्बरीष त्रिपाठी**) सिविल जज (प्रवर वर्ग) रामपुर।	

Digitally signed by Ambareesh Tripathi
Date: 2024.07.09 17:31:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court